न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 12/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/79

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
मूलदास पुत्र श्री शंकरदास जाति साद (वैष्णव) निवासी कूरना, तहसील पाली जिला पाली (राज.)		1. तहसीलदार पाली 2. पूरणसिंह पुत्र श्री माधुसिंह जाति राजपूत, निवासी 69 बाला की ढ़ाणी तहसील पाली जिला पाली 3. होरीलाल माखन पुत्र श्री हीरालाल जाति हिन्दु धोबी, निवासी – भरत कॉऑप. हौ. सोसायटी सी विंग, फ्लैट नम्बर 101, प्लॉट नम्बर 65 ए, बलवन्त रोड, डोकियार्ड स्टेशन के पास, मांझ गांव मुम्बई (महाराष्ट्र)

<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश वैष्णव

–:: <u>नि र्ण य</u> ::–

दिनांक :– 25.08.2025

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध ग्राम कूरना के नामान्तरकरण संख्या 4536 दिनांक 13.12.2024 तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश वैष्णव व रेस्पो. संख्या 02 व रेस्पो. संख्या 03 वकालतन एवं असालतन वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन सरहद मौजा ग्राम कूरना पटवार हल्का कूरना तहसील पाली में अपीलाण्ट की कृषि भूमि खसरा संख्या 1425/1 में दो काश्तकार मूलदास एवं घीसूदास पुत्र शंकरदास थे। जिससे अपीलाण्ट का उक्त खसरे में आधा हिस्सा अपीलाण्ट के व आधा हिस्सा घीसूदास के आता था। घीसूदास द्वारा अपना हिससा अलग–अलग 15 व्यक्तियों को बेचान कर दिया तथा शेष आधा हिस्सा अपीलाण्ट का रहा। उक्त 15 खरीददारों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के बाद उक्त पन्द्रह व्यक्तियों में से 14 व्यक्तियों द्वारा खसरा संख्या 1425/1 की अपने हिस्से की भूमि का रेस्पो. संख्या 02 को बेचाण कर दिया। रेस्पो. संख्या 03 द्वारा अपना 1/30 हिस्सा बेचान नहीं किया व आज भी खातेदार के रूप में दर्ज है। जैर नामान्तरकरण में रेस्पो. संख्या 02 व उक्त 14 बेचाणकर्ताओं में से 06

जिला कलेक्टर, पाली

व्यक्तिओं ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दो बार दर्ज करवा दिया जिससे अपीलाण्ट के हिस्से का रकबा कम हो गया, जिससे जैर नामान्तरकरण अविधिक होने से काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दफा जाब्ता के आवेदन, अखंडित शपथ–पत्र एवं समायतशुदा बहस के आधार हम प्रार्थना–पत्र दफा 05 एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह कि मौजा ग्राम कूरना, खसरा संख्या 1425/1 में मूलतः दो काश्तकार मूलदास व घीसूदास पुत्र शंकरदास थे। इसमें आधा भाग अपीलार्थी को व आधा भाग घीसूदास को प्राप्त था। घीसूदास द्वारा अपने हिस्से की भूमि 15 अलग–अलग व्यक्तियों को विक्रय की गई। विक्रय के पश्चात 14 व्यक्तियों ने अपना हिस्सा पुनः रेस्पो. संख्या 02 को विक्रय कर दिया जबकि रेस्पो. संख्या 03 का हिस्सा यथावत रहा। उक्त 14 व्यक्तियों में से 06 व्यक्तियों ने जैर नामान्तरकरण में अपना नाम दो बार दर्ज करवाया जिससे अपीलार्थी के हिस्से का रकबा घट गया। जिससे जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमावे।

प्रकरण में समायतशुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध जैर नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट आता है कि अपीलाण्ट द्वारा जैर नामान्तरकरण में जिन व्यक्तियों का नाम दोहरी प्रविष्टि होना अवगत करवाया है उनके पूर्ण नाम अथवा वल्दीयत में समानता नहीं पाई गई। जिससे न्यायालय हाजा उक्त प्रविष्टियों को निश्चयात्मक रूप से एक ही व्यक्ति के नाम से दोहरी प्रविष्टि होना प्रमाणित नहीं पाता। साथ ही हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि नामांतरण में कोई विधिक त्रुटि, फर्जीवाड़ा अथवा अनियमितता हुई है। अतः यह साबित नहीं होता कि ये प्रविष्टियाँ एक ही व्यक्ति के नाम से की गई हैं। इस प्रकार प्रस्तुत अपील में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई तथ्य, प्रमाण अथवा विधिक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि नामांतरकरण त्रुटिपूर्ण या अनियमित है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

इसके अतिरिक्त जैर आराजी से संबंधित वर्तमान जमाबन्दी संवंत् 2076–2079 का अवलोकन करने पर यह आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि अपीलाण्ट जिन रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध अनुतोष प्राप्त करना चाहते है वे जैर आराजी के वर्तमान में खातेदार ही नहीं है न ही अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा जैर आराजी के वर्तमान खातेदारों को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार संयोजित करने के संबंध में कोई प्रार्थना–पत्र अथवा वक्त बहस कोई तथ्य पेश किये। अर्थात् अधिवक्ता अपीलाण्ट मिथ्या अभिवचनों के आधार पर जैर आराजी के संबंध में अनुतोष प्राप्त करने हेतु न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं आये है। न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि

अपीलाण्ट न्यायालय के समक्ष सद्भावित एवं साफ हाथों से नहीं आये है बल्कि गलत तथ्यों पर आधारित अपील पेश की है। न्यायालय में सत्य का महत्व सबसे ऊपर होता है। अगर कोई पक्षकार या उसका वकील जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत करता है, तो यह न्यायालय को गुमराह करना माना जाता है। ऐसा करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग (abuse of process of law) माना जाता है। न्यायालयों ने कई बार यह निर्णय दिया है कि यदि कोई याचिका या अपील झूठ पर आधारित हो, तो उसे खारिज किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों मे यह कहा है कि "He who comes to the court must come with clean hands." जब कोई पक्ष न्यायालय से उचित न्याय चाहता है तो उसका परम कर्त्तव्य है कि वह "clean hands." सिद्धान्त के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आये। यदि पक्षकार ने अपने पक्ष में राहत हेतु जरूरी तथ्यों को जान–बूझकर छुपाया है, तो वह equity और discretionary jurisdiction का दावा खो देता है। ऐसी याचिका बिना अच्छे कारण पर विचार किए ही खारिज की जा सकती है। माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त S.J.S. Business Enterprises vs. State of Bihar (2004)/Arunima Baruah vs. Union of India (2007) के अनुसार जहां सच्चाई छिपाई गई है और वह तथ्य मामले के निर्णय को प्रभावित कर सकता है, तो न्यायालय discretionary relief देने में सक्षम नहीं होता क्योंकि पक्षकार स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं आये है। अतः उपरोक्त प्रेक्षणों के दृष्टिगत ग्राम कूरना के नामान्तरकरण संख्या 4536 दिनांक 13.12.2024, जो कि एक summary proceeding है में हम किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाते हैं।

लिहाजा अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं ग्राम कूरना के नामान्तरकरण संख्या 4536 दिनांक 13.12.2024 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **25.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली